प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

07 अगस्त **2018**

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 9 - संघ सरकार (रक्षा सेवाएँ), नौसेना एवं तटरक्षक संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 9 – संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), नौसेना एवं तटरक्षक संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवेदन के बारे में

वर्ष 2016-17 के दौरान, रक्षा पेंशन के अतिरिक्त रक्षा सेवाओं का कुल व्यय ₹2,30,933 करोड़ था। इसमें से, नौसेना ने ₹37,466 करोड़ खर्च किए जबकि तटरक्षक ने ₹4,242 करोड़ खर्च किए, जो कि कुल रक्षा व्यय का लगभग क्रमशः 16 प्रतिशत और दो प्रतिशत था। प्रतिवेदन में शामिल किए गए भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक के लेन-देन की लेखापरीक्षा से उद्भूत मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए है:

I. दीर्घ परास समुद्री सर्वेक्षण पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान 'अ' का अधिष्ठापन और समुपयोजन

मंत्रालय ने 'अअ' दीर्घ परास समुद्री सर्वेक्षण पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान (एल आर एम आर ए एस डब्ल्यू) के अधिग्रहण हेतु संविदा करते समय 20 वर्षों के लिए उत्पाद सहायता लागत के पूरा होने के लिए मैसर्स ई ए डी एस सी ए एस ए, स्पेन की वित्तीय बोली में वृद्धि की जबकि मैसर्स बोईंग, यू एस ए के संदर्भ में इस तत्व की उपेक्षा की गई। जनवरी 2009 में एम यू एस डी 2,137.54 की मैसर्स बोईंग, यू एस ए के साथ संविदा हुई। बाद में, मैसर्स बोईंग, यू एस ए ने एक अलग प्राप्य संविदा के अंतर्गत उत्पाद सहायता को प्रस्तुत किया और परिणामस्वरूप मैसर्स बोईंग, यू एस ए की रैंकिंग कम होकर एल-1 हुई जो कि गलत साबित हुई।

मंत्रालय ने मैसर्स बोईंग, यू एस ए के साथ एम यू एस डी 641.26 (₹3,127.43 करोड़) की एक ऑफसेट संविदा (जनवरी 2009) (मुख्य संविदा कीमत का 30 प्रतिशत होने के कारण) की। एम यू एस डी 641.26 के ऑफसेट दायित्वों को सात वर्षों के भीतर (अगस्त 2016) पूरा करना था, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए थे। मैसर्स बोईंग, यू एस ए ने ऑफसेट दायित्वों के उद्देश्य को विफल करते हुए केवल आपूर्ति आदेशों को देने पर ही ऑफसेट क्रेडिटों का दावा किया।

मैसर्स बोईंग, यू एस ए द्वारा प्रस्तुत किए महत्वपूर्ण भूमिका के उपकरण से भारतीय नौसेना की पूर्ण रूप से आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो पा रही थी। ऑन बोर्ड पर प्रतिष्ठापित राडारों की समर्थता की सीमाओं के कारण, वायुयान परिकल्पित आवृत्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को कवरेज करने में समर्थ नहीं है। एन एस क्यू आर्स में पनडुब्बी-रोधी युद्ध (ए एस डब्ल्यू) के लिए गोलाबारूद के रूप में टॉरपीडोज़ तथा 'क्ष' बमों की अधिप्राप्ति पर विचार किया गया था। तथापि, 'क्ष' बमों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा अभी तक नहीं की गई है (सितंबर 2017)। भारतीय नौसेना द्वारा 'क्ष' बमों की अधिप्राप्ति न करने के कारणों को अभी तक सूचित नही किया था। इस प्रकार, 'क्ष' बमों के अभाव में, विमान की ए एस डब्ल्यू क्षमता केवल आंशिक रूप से पूरी हो सकी। प्रमुख भूमिकाओं में से एक 'अ' विमान की भूमिका पनडुब्बी-रोधी युद्ध है जिसे सोनोब्वायज़ की सहायता से 'अ' पर ऑनबोर्ड ध्वनि प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जाता है; जो न केवल पनडुब्बियों का सही ढंग से पता लगाने और उनका पीछा करने की क्षमता प्रदान करता है, बल्कि ध्वनि डॉटा की मात्रा के संग्रहण में भी सहायक है। आई एन एस 'ल' द्वारा एक वर्ष की प्रस्तावित आवश्यकता की बजाय, भारतीय नौसेना की तीन वर्षों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम रेंज की सोनोब्वायज़ ('प', 'ख' 'र') की अधिप्राप्ति (मार्च 2017) सहित आई एन टी ई जी दवारा प्रस्तावित दीर्घ परास के उन्नत संस्करण सोनोब्वायज़ की अधिप्राप्ति नहीं होने के कारण, 'प', 'ख' सोनोब्वायज़ की परास सीमाओं के कारण 'अ' बेड़ें की ए एस डब्ल्यू निगरानी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

'अ' स्क्वाड्रन के लिए आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं के निर्माण में देरी हुई। निर्धारित आवधिकता के अनुसार सर्वोच्च संचालन समिति के द्वारा निगरानी में कमी के कारण मैसर्स बोईंग, यू एस ए द्वारा ऑफसेट दायित्वों को कार्यान्वयन करने यथासमय गोलाबारूद की अधिप्राप्ति और पूर्ण परिचालित सेंसरों की प्राप्ति को प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 2.1)

II. भारतीय नौसेना में अधिकारियों का प्रशिक्षण

भारतीय नौसेना के प्रत्येक अधिकारी प्रशिक्षु को उसके प्रवेश की योजना तथा प्रशिक्षु को आबंटित शाखा के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना में अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 29 प्रशिक्षण विद्यालय/ स्थापनाएं हैं। भारतीय नौसैनिक प्रशिक्षण संगठन की प्रभावकारिता और उत्पादकता का नौसैनिक प्लेटफार्मों/ प्रणालियों के युद्ध तत्परता और परिचालन प्रभावशीलता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और युद्ध में इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साम्थर्यवान है। नौसैनिक अकादमी परियोजना, एजीमाला के पूरा होने में देरी और नए अधिष्ठापन प्लेटफार्मों के लिए प्रशिक्षिण सहायक सामग्रियों/ उपकरणों की अनुपलब्धता से भारतीय नौसेना के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक पनडुब्बी की क्षति नियंत्रण (डी सी) और अग्निशमन (एफ एफ) पहलूओं पर प्रशिक्षण कर्मीदल के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारतीय नौसेना के डी सी एवं

एफ एफ से जुड़ी सुविधाओं, जो पोतों के अभिन्यास पर आधारित है; द्वारा सीमित व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रतिपुष्टि प्रबंधन और प्रशिक्षण मूल्यांकन के लिए क्रियाविधि कमजोर है। प्रशिक्षण संस्थानों के आंतरिक मूल्यांकनों और भारित इनपुट आउटपुट विश्लेषण में विभिन्न कमियों को दृष्टिगत किया गया है।

(पैराग्राफ 2.2)

III. पूर्वी नौसेना कमान में नौसेना पोतों के रीफिट के लिए इस्पात की अधिप्राप्ति एवं उपयोग

ई एन सी, विशाखापत्तनम में तैनात एस एन एम श्रेणी के माइनस्वीपरों, अचुंबकीय यू 3 इस्पात का प्रयोग करके निर्माण किया जाता है और नौसेना गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम द्वारा रीफिट के दौरान नवीकरण किया जाता है। आवश्यकताओं को जानने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभिग्रहण ना करने के साथ-साथ स्टॉक स्थिति को ध्यान में ना रखने के कारण ₹ 86 करोड़ के लागत की यू 3 इस्पात प्लेटों की अधिक अधिप्राप्ति हुई जिसका उपयोग अल्पमात्र प्रतीत हो रहा है। यू 3 इस्पात प्लेटों का संरक्षण अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं हुआ। नौसैनिक गोदीबाड़ा, विशाखापत्तनम में अनुसरित लेखांकन प्रक्रियाओं में त्रुटियाँ थी।

(पैराग्राफ 2.3)

IV. बूस्ट गैस टर्बाइन्स की अधिप्राप्ति में अतिरिक्त व्यय

बूस्ट गैस टर्बाइनों (बी जी टी) में पोतों के मुख्य संचालक शक्ति संयंत्र का समावेश होता है और इसे उच्च गति की वृद्धि हेतु ऑनबोर्ड लगाया जाता है। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने (अप्रैल 2011) मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) मैसर्स जोरया माशप्रोक्ट, यूक्रेन को आठ बी जी टीज़ की अधिप्राप्ति के लिए विकल्प और पुनरावृत्ति आदेश दोनों खण्डों को शामिल करते हुए प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध (आर एफ पी) जारी किया। आर एफ पी में इन खण्डों की उपलब्धता के बावजूद आठ बूस्ट गैस टर्बाइनों (बी जी टीज़) की अधिप्राप्ति के लिए संविदा (अक्तूबर 2013) में विकल्प/ पुनरावृत्ति आदेश खण्डों को समावेश करने की वार्तालाप करने में भारतीय नौसेना असफल रही। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2015 में चार बी जी टीज़ की उत्तरगामी अधिप्राप्ति में ₹ 7.04 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, क्योंकि इन खण्डों के अंतर्गत कीमत लाभों के अर्जित होने वाले फायदों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 2.5)

V. नौसेना के पुर्जों की अधिप्राप्ति में अपूर्ण संविदा प्रबंधन

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने ₹80.80 करोड़ की लागत से मैसर्स रोसोबोरोनसर्विस (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई {मैसर्स आर ओ एस (आई) मुंबई}, के साथ विभिन्न प्रणालियों के पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए, जिनकी सुपुर्दगी अगस्त 2011 से जून 2014 के मध्य होनी थी, संविदाएं की। इन संविदाओं में, अन्य बातों के साथ, फर्म के लिए, पुष्टीकृत आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बैंक गारंटी के रूप में एक निष्पादन गारंटी (पी बी जीज़) जमा करवाने के लिए अनिवार्य थी। पी बी जीज़ वारंटी अवधि के बाद 60 दिनों तक वैध होने आवश्यक थे। इन संविदाओं के संबंध में फर्म द्वारा ₹8.08 करोड़ की कीमत के पी बी जीज़ जमा कराने थे (अर्थात्, संविदा के मूल्य का 10 प्रतिशत)। मैसर्स आर ओ एस (आई) ने वर्ष 2012-13 से विदेशी विनिमय (एफ ई) दरों में विशाल उतार चढ़ावों के कारण, इस तथ्य के होते हुए कि इन संविदाओं में विनिमय दर विविधता (ई आर वी) का कोई प्रावधान नहीं था, इन 11 संविदाओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की (जनवरी 2014)।

बाद में, सक्षम वित्तीय प्रधिकारी (सी एफ ए) ने इन संविदाओं के पहले बन्द करने को अनुमोदित किया। एक गैर-रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डी पी एस यू) की भारतीय फर्म होने के कारण, मैसर्स आर ओ एस (आई) के साथ की गई संविदा में ई आर वी खण्ड को शामिल नहीं किया गया और भारतीय मुद्रा में भुगतान किया जाना था। फर्म ने केवल एक संविदा (₹1.59 करोड़) के संबंध में पी बी जी जमा कराई, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। इस प्रकार अपूर्ण संविदा प्रबंधन के परिणामस्वरूप 11 संविदाओं में दोष होने से मैसर्स रोसोबोरोनसर्विस (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई से ₹ 8.08 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.6)

VI. मल उपचार सयंत्र के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब

एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने कार्य सौपनें की तिथि से 156 सप्ताहों में पूर्ण होने वाले "करंजा में केन्द्रीय मल योजना का प्रावधान" की ₹13.40 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की। संरचना कार्य, जिसकी संविदा दिसम्बर 2010 में हुई थी, उसे 23 जून 2012 तक पूरा होना था और एस टी पी से संबंधित कार्य जिसकी संविदा जुलाई 2013 में हुई थी, उसे 25 जनवरी 2015 तक पूरा होना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि संरचना संविदा (दिसम्बर 2010) के विरुद्ध ₹4.93 करोड़ की लागत से 85 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था (अप्रैल 2013) और बाकी कार्य को एस टी पी कार्य के पूर्ण होने तक निलंबित रखा गया था। इसके आगे, एस टी पी से संबंधित कार्य की प्रगति केवल 44.5 प्रतिशत थी (जुलाई 2017)। मल उपचार संयत्र के आधारिक संरचना कार्य के कार्यान्वयन में समकालीन कमी के परिणामस्वरूप पिछले चार वर्षों से ₹4.39 करोड़ का व्यर्थ निवेश हुआ।

(पैराग्राफ 2.7)

VII. वातानुकूलन और प्रशीतन संयंत्रों की अनावश्यक अधिप्राप्ति

सामग्री संगठन, विशाखापत्तनम ने भारतीय नौसैनिक पोत (आई एन एस) महिष के लिए ₹3.18 करोड़ के वातानुकूलित (ए सी) और प्रशीतन संयंत्रों का एक क्रय आदेश दिया (मार्च 2015)। 5 मार्च 2015 को एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने मुख्यालय ए एन सी को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया क्योंकि आई एन एस महिष 1 जुलाई 2016 तक आवश्यक मरम्मत एवं शुष्क गोदी (ई आर डी डी) के लिए नियत था, उसके पश्चात् इसका सेवा मुक्त होना था। तथापि, मुख्यालय ए एन सी ने एम ओ (विशाखापत्तनम) को 1 अप्रैल 2015 को ही अपने निर्णय से अवगत कराया अर्थात् 30 मार्च 2015 को क्रय आदेश देने के बाद। एम ओ (विशाखापत्तनम) ने क्रय आदेश को रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की।

परिणामस्वरूप, जून 2015 में प्राप्त, ₹ 3.18 करोड़ मूल्य के संयंत्रों की खरीद निष्फल हो गई क्योंकि जिस पोत (अर्थात आई एन एस महिष) के लिए संयंत्रों की आवश्यकता थी, वो नवंबर 2016 में सेवामुक्त हो गया था।

(पैराग्राफ 2.8)

VIII. भारतीय तटरक्षक में आधारभूत संरचनाओं व सुविधाओं का निर्माण

तटरक्षक विकास योजना (सी जी डी पी) 2012-17 में प्रभावपूर्ण संचालन के लिए दो तटरक्षक वायु स्टेशनों (सी जी ए एस) और सात तटरक्षक वायु एनक्लेव्स (सी जी ए ई) की स्थापना परिकल्पित की। नियोजित अवधि के अंत में, सरकारी संस्वीकृति के बावजूद, आई सी जी इन एयर यूनिटों को संस्वीकृति की तिथि के 51 से 95 महीनों के बीत जाने के बाद भी चालू नहीं कर सका था। सी जी ए ई की स्थापना में असफलता इस तथ्य की सूचक है कि आई सी जी द्वारा सी जी ए एस और सी जी ए ई स्टेशनों की स्थापना के निर्णय के समय आवश्यक आधारभूत वास्तविकताओं और स्थानीय बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया था। बर्थिंग सुविधाओं और जैटीज़ की अपर्याप्तता एक चिंता का विषय है क्योंकि तटरक्षक इन संपत्तियों के लिए विभिन्न बंदरगाहों पर निर्भर हैं। जैटीज़ की लंबाई की उपलब्धता के संबंध में 27.80 से

76.50 प्रतिशत रेंज की कमी थी। परिणामस्वरूप पोतों को कई अवसरों पर लंगरों पर रहना पड़ता था और आई सी जी को पोतों को कम करने/ पुन: तैनाती करने/ दूसरे स्टेशनों पर तैनाती के लिए, और अन्य स्टेशनों से आवश्यक निगरानी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुम्बई में एयर कुशन वाहनों (ए सी वीज़) को सूर्य की रोशनी में पार्किंग के कारण उनका पूर्वकालिक पतन हुआ। ए सी वीज़ जिनकी तैनाती पुदुचेरी में होनी थी, वास्तविक रूप से मंडपम से संचालित किए गए। बर्थिंग सुविधाओं की कमी की पूर्ति सी जी एच क्यू की तैनाती योजना के अनुसार, समकालिक पोतों की तैनाती प्रभावी रूप से नहीं हुई है।

(पैराग्राफ 3.1)